संख्या–4397 / 9–आ–1–99

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24–1–2000

विषय :लखनऊ विकास प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–34 / पू0अ0 / 99–2000, दिनांक 14–9–1999 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ऐसी योजनायें जो लखनऊ नगर निगम को अब तक हस्तान्तरित नहीं की गयी हैं और आवंटियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है, की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये अनुरक्षण व्यवस्था हेतु भूखण्डों के क्षेत्रफल पर निम्नलिखित दर पर अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) आवासीय भूखण्डों के क्षेत्रफल का रु0 1.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।

(2) संस्थागत तथा कार्यालय प्रयोग हेतु रु0 1.50 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।

(3) व्यवसायिक भूखण्डों के लिये रु0 2.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।

(4) स्कूल भूखण्डों के लिये रु0 0.20 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।

(5) रिक्त भूखण्डों पर जिस पर आवंटियों द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है किन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उन आवंटियों से 25 प्रतिशत धनराशि अनुरक्षण शुल्क के रूप में वसूल किया जाय।

(6) उक्त अनुरक्षण शुल्क की दरें दिनांक 01 अप्रैल,1998 से लागू होंगी।

2. कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।